कुलपति

के रूप में दिनांक

13 अप्रैल 2020 को

एक वर्ष पूर्ण होने पर

प्रगति आख्या

(प्रो0 संजीव कुमार शर्मा)

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)

प्रगति आख्या

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) के **कुलपति** के रूप में दिनांक **13 अप्रैल 2020** को **एक वर्ष पूर्ण** होने पर **प्रगति आख्या**–

A. भूमि :

1. बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को सम्प्रदत्त **34 एकड़ भूमि** का वास्तविक अधिग्रहण किया गया।
2. इसमें से 32 एकड़ भूमि का म्यूटेशन कार्य पूर्ण कराया गया।
3. इसके **अतिरिक्त 102 एकड़ भूमि** का अधिग्रहण किया गया।
4. शेष आवंटित भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
5. अधिगृहीत भूमि के म्यूटेशन हेतु वांछित प्रक्रियाएं संचालित की जा रही हैं।
6. भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क, पत्राचार तथा सम्वाद किया गया।
7. विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की निर्मिति हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा शेष व्यवस्था संचालित है।
8. **विश्वविद्यालय की आवंटित भूमि** पर दिनांक **09 दिसम्बर 2019 को गांधी भवन** का **लोकार्पण** किया गया।

B. अवस्थापना :

1. जिला परिषद् स्कूल प्रांगण में संचालित कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालय में अत्यन्त सीमित, संकुचित तथा असुविधाजनक स्थान की उपलब्धता एवं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

2. पाँच विभागों (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मीडिया अध्ययन, वाणिज्य, शिक्षा अध्ययन तथा प्रबन्धन) के लिए अत्याधुनिक कक्षाओं तथा शिक्षक कक्षों की व्यवस्थायुक्त एक पृथक् पाँच–मंजिला भवन तथा पृथक् परिसर की संकल्पना को साकार रूप प्रदान किया गया।

3. उक्त आवंटित एवं अधिगृहीत भूमि पर प्रयोजन योग्य स्कूल भवन का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जीर्णोद्धार कर उपयोगी बनाया गया है तथा इसमें समाज विज्ञान संकाय के पाँच (राजनीति विज्ञान, समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं गाँधी एवं शान्ति अध्ययन) तथा मानविकी संकाय के तीन (हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत) विभागों को स्थानान्तरित किया गया।

4. उक्त भवन में पूर्वोक्त आठ विभागों की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर इन संकायों के शिक्षकों हेतु भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

5. इसके अतिरिक्त इस भूमि पर चार जीर्ण–शीर्ण भवनों का पुनरुद्धार कर उन्हें आचार्यों तथा अधिकारियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है।

6. इस परिसर में वनस्पति विज्ञान विभाग के तत्त्वावधान में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु एक विस्तीर्ण लॉन तथा पुष्प–पंक्तियों की व्यवस्था की गई है।

7. सम्पूर्ण 34 एकड़ भूमि पर बिहार सरकार के वन विभाग के सौजन्य से 5000 पादपों से वृक्षारोपण किया गया है।

8. विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के सर्वतोमुखी विकास हेतु उक्त भूमि पर क्रिकेट, फुटबाल, वॉलीवाल, आदि खेलों के लिए आवश्यक अवस्थापना की गई है।

9. जिला स्कूल परिसर में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबाल, वॉलीबाल, आदि क्रीडाओं हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

10. जिला स्कूल प्रांगण में से अनेक विभागों के अन्यत्र परिसरों पर स्थानान्तरित किए जाने के फलस्वरूप वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी विभागों के लिए व्यापक तथा विस्तृत प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया गया।

11. नए पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में विद्यमान विशालकक्षों का सम्यक् विभाजन कर अतिरिक्त अध्ययन कक्षों की व्यवस्था जिला स्कूल परिसर में की गई।

12. प्रत्येक परिसर में तथा प्रत्येक संकाय में स्मार्ट–बोर्ड उपलब्ध कराकर अध्ययन–कक्षों में स्थापित कराए गए तथा शिक्षकों को इनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित कराया गया।

13. **प्रत्येक संकाय में एक–एक स्मार्ट–क्लास तथा एक–एक स्मार्ट पोडियम की व्यवस्था की गई।**

14. महिला छात्रावास की दशाओं, सुविधाओं और आधारभूत संरचना में वांछित सुधार किया गया है।

C. विधायी व्यवस्था :

1. विश्वविद्यालय की विधिक एवं प्राविधानित संस्थाओं को गतिमान एवं क्रियाशील बनाया गया।

2. विश्वविद्यालय की प्रथम कोर्ट (साधारण सभा) की प्रथम बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2019 को आयोजित की गई।

3. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की नियमित बैठकें दिनांक 21 मई 2019, 25 जुलाई 2019, 3 दिसम्बर 2019 तथा 25 जनवरी 2020 को आयोजित की गई तथा इन समस्त बैठकों को विश्वविद्यालय कार्यालय में ही कराया जाना सुनिश्चित किया गया।

4. विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद की नियमित बैठकें 17 मई 2019 तथा 1 दिसम्बर 2019 को आयोजित की गई।

5. विश्वविद्यालय की वित्त समिति की नियमित बैठकें 19 मई 2019, 13 नवम्बर 2019 तथा 27 फरवरी 2020 को आयोजित की गई।

6. विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुरूप योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड का गठन किया गया तथा दिनांक 14 मई 2019 तथा 1 दिसम्बर 2019 को नियमित बैठकें आयोजित की गई।

7. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण का गठन किया गया तथा दिनांक 15 जनवरी 2020 को समिति की बैठक आयोजित की गई।

8. विश्वविद्यालय की प्रथम कोर्ट एवं वित्त समिति के अतिरिक्त अन्य समस्त विधायी संस्थाओं की **सभी बैठकें विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की गईं।**

9. विश्वविद्यालय के अन्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ का गठन कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन किया गया तथा प्रकोष्ठ की नियमित बैठकें आयोजित कर उसे विश्वविद्यालय की आन्तरिक संचालन व्यवस्था का प्रमुख तन्तु बनाया गया।

10. संकायाध्यक्ष समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

D. विधि–निर्माण :

1. विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह, शोध उपाधि, परीक्षा, प्रवेश, विभाग तथा स्कूल विभाजन, कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, आदि अनेक लम्बित अध्यादेशों को निर्माण कर तथा उन्हें वांछित समितियों/परिषदों से अनुमोदित कराकर विधिवत प्रवृत्त किया गया। साथ ही समस्त सम्बन्धित अध्यादेशों को निर्धारित प्रक्रियानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसरित किया गया है। तदनुसार कार्यपरिषद तथा विद्वत परिषद का पुनर्गठन कर लिया गया है।

2. विश्वविद्यालय की प्रथम कार्यपरिषद तथा प्रथम विद्वत परिषद के कार्यकाल की समाप्ति पर परिनियमावली में संशोधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर तथा निर्धारित समितियों से अनुमोदन प्राप्त कर माननीय कुलाध्यक्ष की सहमति प्राप्त कर ली गई है तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया गया।

3. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर प्रशासनिक भवन, जिला स्कूल को चाणक्य परिसर, नवीन जीर्णोद्धार–कृत भवन को गाँधी भवन, किराए पर लिए गए भवन को दीनदयाल उपाध्याय परिसर, कान्फ्रेंस हॉल को पंडित राजकुमार शुक्ल सभागृह, तथा पुस्तकालय को अटल बिहारी वाजपेयी केन्द्रीय पुस्तकालय के नाम से अधिसूचित किया गया है।

4. विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न तथा ध्येय–वाक्य के निर्धारण हेतु निःशुल्क प्रविष्टियाँ आमंत्रित कर विधिवत प्रक्रियाओं का पालन कर अंतिम निर्णय लिया गया तथा ध्येयवाक्य (मयि श्रीः श्रयतां यशः) से संयुक्त तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में विश्वविद्यालय नामांकित प्रतीक चिह्न को प्रयोग में लाना सुनिश्चित किया गया।

5. विश्वविद्यालय के कुलगीत एवं कुलध्वज के सुनिश्चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रवृत्त की गई।

E. शैक्षणिक विस्तार :

1. विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मीडिया अध्ययन, गाँधी एवं शान्ति अध्ययन तथा संस्कृत के **पाँच नए विभागों की स्थापना की गई** तथा **कुल विभाग संख्या 15 से 20 की गई।**

2. विश्वविद्यालय के **विभिन्न विभागों के अन्तर्गत स्नातकोत्तर (एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, आदि), एम0फिल्0 तथा पीएच0डी0 कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।**

3. विश्वविद्यालय के बी0टेक0 पाठ्यक्रम को पुनर्जीवित कर विधिवत प्रवेश तथा पठन–पाठन सुनिश्चित किया गया।

4. विश्वविद्यालय के 10 नए पाठ्य–विभागों की स्थापना हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगग को प्रेषित की गई।

5. विश्वविद्यालय में योग अध्ययन केन्द्र तथा महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया गया।

6. विश्वविद्यालय में विभिन्न अन्य शोधपीठों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

7. **महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात), इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली आदि से अनुबंध–पत्र हस्ताक्षरित किए गए तथा अकादमिक एवं अनुसन्धानिक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को सुनिश्चित किया गया।**

8. विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज, **शंघाई विश्वविद्यालय, शंघाई (चीन)** के मध्य अकादमिक विमर्श एवं सहयोग हेतु अनुबंध किया गया।

9. विश्वविद्यालय के **विभिन्न शैक्षणिक विभागों में बिहार से इतर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों** की संख्या को **2 से बढ़ाकर 122 तक** पहुँचाया गया।

10. विश्वविद्यालय में **पूर्व मे संचालित कुल अकादमिक कार्यक्रमों** की संख्या **6 को बढ़ाकर वर्तमान में 67 तक पहुँचाया गया।**

11. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को 537 से 810 तक पहुँचाया गया।

12. विश्वविद्यालय में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात में तीव्र सकारात्मक वृद्धि सुनिश्चित की गई।

13. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के पदों पर रिक्तियों को त्वरा से भरा गया।

F. वित्तीय प्रबन्धन :

1. विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबन्धन में अनुशासन, पारदर्शिता तथा नियमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त समिति की नियमित अन्तराल पर बैठकें आयोजित की गई तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए।

2. विश्वविद्यालय में कैशलैस ट्रान्जेक्शन्स तथा वेतन, भुगतान, शुल्क आदि का पी0एफ0एम0एस0 अथवा आर0टी0जी0एस0 आदि के द्वारा आहरण एवं वितरण सुनिश्चित किया गया।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान के इष्टतम, नियमसम्मत तथा अवधिपरक उपभोग को लक्ष्य बनाकर विधिवत कार्यवाही की गई।

4. **विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास से प्राप्त शुल्क की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि कर उसे मात्र रु5700/– प्रतिवर्ष से रु.8 लाख से अधिक प्रतिवर्ष पहुँचाया गया।**

5. विश्वविद्यालय की आन्तरिक प्राप्तियों में निरन्तर प्रभावी वृद्धि की गई तथा संचित कोश को समृद्ध बनाया गया।

6. समस्त प्रकार के उपकरणों, पुस्तकों तथा अन्यान्य सामग्री के क्रय हेतु त्रि–स्तरीय व्यवस्था की गई जिसमें सम्बन्धित विभाग, स्थायी स्थानीय प्रापण प्रकोष्ठ तथा विश्वविद्यालय स्तरीय क्रय समिति का गठन कर जी0एफ0आर0 के पालन को सुनिश्चित किया गया।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इतर अन्यान्य अनुदान प्रदाता संस्थाओं से विभिन्न शैक्षणिक विभागों के माध्यम से अधिकाधिक अनुदान की प्राप्ति के यथासम्भव एवं सफल प्रयास किए गए। **सी0एस0आई0आर0, आई0सी0एस0एस0आर0, आई0आई0पी0ए0, डी0एस0टी0, डी0आर0डी0ओ0, आदि संस्थाओं से अकादमिक कार्यों हेतु अनुदान स्वीकृत कराए गए।**

8. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों का उपभोग प्रतिशत भी निरन्तर बढ़ाया गया।

G. प्रशासनिक आयोजन :

1. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव, प्रथम वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियन्त्रक के पदों पर नियमित तथा निरन्तर व्यापक विज्ञापन किया गया तथा साक्षात्कार आयोजित किए गए।

2. विश्वविद्यालय के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी पद पर विधिवत विज्ञापन, साक्षात्कार, आदि की प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति की गई।

3. विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के दो पदों पर विधिसम्मत प्रक्रियानुसार नियुक्तियाँ की गई।

4. विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप जनसम्पर्क अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, सहायक अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता

(इलैक्ट्रिकल), सिस्टम एनलिस्ट, आदि पदों पर विज्ञापन एवं साक्षात्कार के माध्यम से संविदा नियुक्तियाँ कर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन योग्य बनाया गया।

5. विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं परिणाम की व्यवस्था का पुनरीक्षण कर उसे त्वरित, सरल, पारदर्शी और विद्यार्थी केन्द्रित बनाया गया।

6. इसके अतिरिक्त निजी सचिव, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, आदि पदों पर निविदा नियुक्तियाँ कर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधि को सुदृढ़ किया गया।

7. विश्वविद्यालय के उपकुलसचिवों के मध्य कार्य–विभाजन तथा दायित्व विभाजन कर नियमित समीक्षा सुनिश्चित की गई।

8. विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों को अधिक अकादमिक तथा प्रशासनिक अधिकार एवं दायित्व प्रदान करते हुए सम्पूर्ण व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत किया गया।

9. विश्वविद्यालय के तीनों पृथक् परिसरों– चाणक्य परिसर, दीनदयाल उपाध्याय परिसर तथा गाँधी भवन के प्रशासनिक संचालन हेतु पृथक् परिसर निदेशकों को नियुक्त किया गया।

10. विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता तथा कुलानुशासक के साथ उनके पृथक्–पृथक् बोर्ड का गठन किया गया।

11. विश्वविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन हेतु क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति की गई।

12. विश्वविद्यालय की आन्तरिक शिकायत समिति का नियमानुकूल पुनर्गठन किया गया तथा उसे गतिशील एवं जवाबदेह बनाया गया।

13. विश्वविद्यालय में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया गया।

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों तथा आयामों के विधिगत, व्यवस्थित एवं विकेन्द्रित संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया। उक्त सभी समितियों की नियमित बैठकें तथा समीक्षा भी सुनिश्चित की गई।

15. विश्वविद्यालय के नीति–निर्धारण, प्रशासन, दैनन्दिन कार्य तथा आयोजना निर्माण में सम्पूर्ण पारदर्शिता, विधिसम्मतता और सामूहिकता के समावेश की दृष्टि से संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों की नियमित बैठकें आहूत की जा रही हैं।

16. विश्वविद्यालय की विधायी संस्थाओं की नियम सम्मत अनुमोदित कार्यवाही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सर्वसुलभ बनाते हुए प्रकाशित की गई हैं।

17. विश्वविद्यालय के सात सह–आचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत नियमानुसार चयन समिति की बैठकें आयोजित कर आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।

18. विश्वविद्यालय की चयन समिति की बैठकों में माननीय कुलाध्यक्ष के प्रतिनिधि के नामांकन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

19. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान को व्यवस्थित तथा अनुशासित बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का अवलोकन एवं निरीक्षण किया गया।

20. नियमित रूप से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, क्रीड़ा–स्थान, आदि के निरीक्षण में विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष सम्वाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जानकर समुचित समाधान की व्यवस्था की गई।

21. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन को त्वरित कार्यकुशल, प्रौद्योगिकी आधारित तथा उत्तरदायी बनाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही की गई है।

H. अकादमिक संयोजन :

1. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों (20) में स्नातकोत्तर, एम0फिल्0 तथा पीएच0डी0 के पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु पाठ्य समितियों की नियमित बैठकें आहूत की गई।

2. विभिन्न शैक्षणिक विभागों में **आचार्य पद पर 14**, **सह–आचार्य पद पर 23** तथा **सहायक आचार्य पद पर 22** नियमित शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई तथा विभागों में शैक्षणिक पदों पर रिक्तियों की संख्या को न्यूनतम किया गया।

3. विभिन्न विभागों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर शेष रिक्त पदों पर अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

4. विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं अकादमिक विकास को सम्यक् दिशा प्रदान करने हुतु एक वरिष्ठ आचार्य को संकायाध्यक्ष–शोध एवं विकास नामित किया गया है और इस हेतु अन्य वरिष्ठ शिक्षकों के साथ एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।

5. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के समस्त शिक्षकों के साथ विभागवार केन्द्रित बैठकें आयोजित कर उनकी अकादमिक प्राथमिकताओं के निर्धारण को समुचित दिशा प्रदान की गई है।

6. सभी शिक्षकों को राज्य और केन्द्रीय स्तर पर शोध हेतु अनुदान प्रदान करने वाली संस्थाओं से अधिकाधिक कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव निर्मित करने तथा प्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

7. विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉ0 प्रतिभा सिंह को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा वृहद शोध परियोजना स्वीकृत की गई।

8. विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान विभाग को एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु डी0आर0डी0ओ0, डी0एस0टी0, रॉयल सोसाइटी ऑफ कैमिस्ट्री, आदि से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

9. प्रबंधन संकाय को उपभोक्ता संरक्षण विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया गया।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप पर विचार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद द्वारा प्रायोजित साहाय्य प्रदान किया गया।

11. विश्वविद्यालय के नव–नियुक्त सहायक आचार्यों को विश्वविद्यालय व्यवस्था से परिचित कराने के लिए दिनांक 13 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक आठ दिवसीय संकाय अनुप्रेरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश भर के ख्याति प्राप्त और वरिष्ठ शिक्षक–प्रशासकों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया।

12. समस्त शैक्षणिक विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, प्रशासन तथा प्रबन्धन में इष्टतम प्रयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया।

13. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के लिए पाठ्य समिति, विभागीय शोध समिति, शोध उपाधि समिति, आदि का गठन किया तथा प्रत्येक में बाह्य विशेषज्ञ नामित किए गए।

14. सभी शिक्षकों को आलेख, शोधपत्र, पुस्तक– अध्याय, पुस्तक, सम्पादित सामग्री, आदि लिखने हेतु निरन्तर प्रेरित किया गया।

15. विश्वविद्यालय स्तर से एक स्तरीय बहु–अन्तःअनुशासनात्मक शोध पत्रिका प्रकाशित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर 2 अक्टूबर 2019 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर MGCU Journal of Social Sciences के प्रथमांक का लोकार्पण किया गया। इसका ऑनलाइन संस्करण भी विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

16. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को देश तथा विदेश में विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु वित्तीय सहायता के लिए नियम–निर्माण किया गया तथा प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

17. शैक्षणिक विभागों में एडजंक्ट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित कर प्रचारित एवं प्रसारित किया गया। कई विभागों में इसके अन्तर्गत नियुक्ति की गई।

18. सभी शैक्षणिक विभागों को नियमित रूप से विभिन्न अकादमिक आयोजन, यथा–विशिष्ट व्याख्यान, विजिटिंग फैकल्टी, राष्ट्रीय परिसंवाद, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, आदि का आयोजन करने के लिए प्रशासनिक वातावरण निर्माण कर प्रशासनिक सहयोग तथा वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया।

19. देश तथा विदेश के विशिष्ट योग्यता प्राप्त तथा लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों को विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के सम्यक् अभिप्रेरण हेतु आमंत्रित किया गया।

20. समस्त नवागन्तुक विद्यार्थियों को शिक्षकों, अधिकारियों तथा व्यवस्थाओं से परिचित कराने हेतु कई अनुप्रेरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21. पीएच0डी0 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के लिए एक सात दिवसीय शोध प्रविधि कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें देशभर के विभिन्न प्रसिद्ध शोध–वेत्ताओं को आमन्त्रित किया गया।

22. विश्वविद्यालय में पूर्व में विद्यमान विद्वेष, संदेह तथा अविश्वास को समूल समाप्त कर सहज संवाद, नियमित विमर्श तथा सामूहिक सहभाग के माध्यम से श्रेष्ठ अकादमिक वातावरण को निर्मित किया गया।

23. विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट अकादमिक गतिविधि तथा विशिष्ट शैक्षणिक उपक्रमों के समर्थ एवं प्रभावशाली केन्द्र के रूप में विकसित किया गया।

24. विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी केन्द्रीय पुस्तकालय को व्यक्तिगत संग्रह से लगभग 600 पुस्तकें/जर्नल, आदि भेंट किए गए।

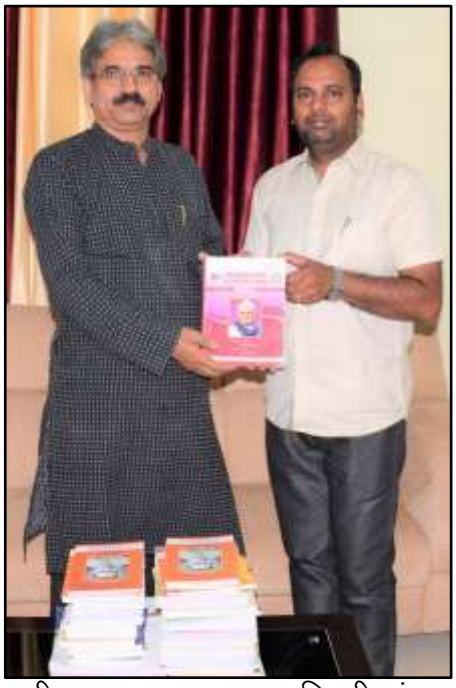

25. विश्वविद्यालय पुस्तकालय को अधिक सुविधा सम्पन्न तथा समृद्ध बनाने के लिए अतिरिक्त धन तथा स्थान का आवटंन किया गया।

26. पुस्तकालय को अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई।

27. पुस्तकालय में पुस्तक क्रय, आहरण क्रमबद्धीकरण, आदि को डिजिटलाइज किया गया।

28. विश्वभर के ऑनलाइन जर्नल्स तथा अन्य पाठ्य सामग्री को विश्वविद्यालय के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध कराना तथा इसे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सुलभ बनाना सुनिश्चित किया गया।

29. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों, जर्नल्स, मैगजीन्स, समाचार–पत्र, आदि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।

30. पुस्तकालय की क्रय प्रणाली को पारदर्शी तथा विधि सम्मत बनाने के लिए पुस्तकालय समिति का गठन कर नियमित बैठकें आहूत की गई।

31. कोरोना आपदा के काल में ई–विमर्श नामक एक नवाचार प्रारम्भ कर विश्वविद्यालय के अनेकानेक शिक्षकों के ऑनलाइन व्याख्यान उनके घरों पर ही तैयार कराकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट, यू–ट्यूब चैनल, सोशल–मीडिया तथा व्हाटसऐप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये गये।

32. विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को इस लॉकडाउन की अवधि में अनिवार्य रूप से 14 अप्रैल तक अपनी कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम में से न्यूनतम 4 पॉवर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन्स बनाने का आग्रह कर उन्हें वेबसाइट तथा अन्यान्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुँचाया गया।

33. विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रतिदिन गूगल हैंगआउट, गूगल क्लास, जूम आदि माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने और विद्यार्थियों के नियमित सम्पर्क में रहना सुनिश्चित किया गया।

34. दिनांक 13 अप्रैल 2020 से फेसबुक लाइव के माध्यम से नियमित रूप से देश के ख्याति प्राप्त विद्वानों से विभिन्न समसामायिक विषयों पर ऑनलाइन चर्चा की श्रृंखला प्रारम्भ की गई।

35. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनेक वर्षोंपरान्त पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तु का अद्यतनीकरण, उच्चीकरण तथा उपादेयता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।

36. विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु साप्ताहिक सायंकालीन निःशुल्क संस्कृत सम्भाषण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गयज्ञं।

I. शिक्षेणतर गतिविधि :

1. विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में नियमित रूप में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी प्रच्छन्न प्रतिभाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया गया।

2. सांस्कृतिक गतिविधियों में शिक्षकों, अधिकारियों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा सहभागिता सुनिश्चित कर इन्हें नैसर्गिक प्रतिभा का मंच एवं सामर्थ्यवान प्रस्तुतियों का अवसर बनाया गया तथा आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

3. विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक विभागों में 18 भारतीय राज्यों से शिक्षकों की नियुक्ति की विशिष्टता को दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक भारतीय प्रदेश की स्थानीय संस्कृति, वेशभूषा, आहार, तीर्थ, इतिहास, भूगोल, वैशिष्ट्य, भाषा आदि से अन्य शिक्षकों को अवगत कराने के उद्देश्य से 'प्रदेशानुभूति' शीर्षक से एक विलक्षण कार्यक्रय प्रारम्भ किया गया जो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक सार्थक पद सिद्ध होगा।

4. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना के अन्तर्गत अनेक बहु–आयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

5. स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत अनेक प्रकार के आयोजन किए गए।

6. उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय सेवा योजना, रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, मतदाता जागरूकता अभियान, आदि अनेक कार्यक्रम विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित कराए गए।

7. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय को एक वृहद् शोध परियोजना स्वीकृत की गई।

8. विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को कई पुस्तकें लिखने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणाम सुखद हैं।

9. विश्वविद्यालय में प्रथम बार चार दिवसीय क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

10. चाणक्य परिसर में क्रीडा संकुल का लोकार्पण किया गया।

11. गाँधी भवन परिसर में एक इनडोर जिम की स्थापना तथा आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का नियमानुसार क्रय कर लिया गया है।

12. विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबन्धन, आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

13. विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को जीविका की दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए एक प्लेसमेंट एण्ड गाइडेंस सेल का गठन कर उसे विद्यार्थियों की योग्यतानुरूप कार्य अवसरों से अवगत कराने के केन्द्र में रूपान्तरित किया गया।

14. महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर वर्षभर विभिन्न अकादमिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों की रूपरेखा, संचालन तथा निर्देशन करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों की एक वृहदाकार समिति का गठन किया गया और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गाँधी के उत्कृष्ट समाज जीवन तथा वरेण्य विचार–सरणि से शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया।

15. विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह की प्रारम्भिक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

J. जनसम्पर्क एवं मीडिया प्रबन्धन :

1. प्रथम बार विश्वविद्यालय की अकादमिक, प्रशासनिक तथा शिक्षणेतर गतिविधियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, लिन्कडइन, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, आदि) पर सशक्त एवं सक्षम रूप में प्रस्तुत किया गया और इंटरनेट के अधिकतम उपयोग से विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति सुनिश्चित की गई।

2. विश्वविद्यालय का अधिकारिक यू–ट्यूब चैनल सक्रिय, गतिशील तथा आकर्षक बनाकर उसकी विषय–वस्तु को उपादेय बनाया गया।

3. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को अत्याधुनिक, उच्चीकृत, अद्यतनीकृत तथा इन्टरैक्टिव बनाने हेतु समिति गठन, नियमित समीक्षा, प्रतिदिन सूचना तथा विवरण, आदि सुनिश्चित किए गए।

4. विश्वविद्यालय के जनसूचना प्रकोष्ठ का पुनर्गठन कर लम्बित सूचना प्रत्यावेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया।

5. विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विभागों, शिक्षकों, अधिकारियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञापन, सूचना, संदेश, फेसबुक पोस्ट, ट्वीटस, आदि को नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित व प्रसारित किया जा रहा है।

6. विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के माध्यम से स्थानीय तथा राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सकारात्मक सूचनाओं का प्रकाशन सुनिश्चित किया गया है तथा नियमित प्रैस वार्ताएं भी आयोजित की गई हैं।

7. विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया उपस्थिति तथा प्रस्तुति को सक्रिय, गतिशील, व्यापक और समावेशी बनाया गया है।

8. विश्वविद्यालय के ई–न्यूजलैटर 'परिसर प्रतिबिम्ब' को पुनर्जीवित कर उसका नियमित सम्पादन, प्रकाशन तथा वितरण ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित किया गया।

(प्रो0 संजीव कुमार शर्मा)
कुलपति
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय
मोतिहारी (बिहार)

*** * * * * धन्यवाद * * * * ***

On the Occasion of
International Women's Day
8 March

AIU HOUSE

ANNUAL

गाँधी केन्द्रीय